2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 15/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण जाति राजपूत निवासी 79, हनुवंत बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.11.18 में उसके द्वारा (1)तहसीलदार लूणी का प्रस्ताव पत्र संख्याः राजस्व/04/398 दिनांक 25.02.04 के सन्दर्भ में उपरोक्त पत्र ग्राम झंवर के खसरा नम्बर 1317 रकबा 17.10 राजकीय भूमि आंबटन हेतु आप द्वारा प्रपत्र ब में मय राजस्व रेकर्ड, नक्शे की प्रतियां व ग्राम पंचायत की अनापति के साथ उपखण्ड अधिकारी को भेजे थे, इन सभी दस्तावेजों की फोटो प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हों। आदेश सुनाया गया।	